न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –725 / 2024

अनवान : –

1. राजेश पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादी**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय **दिनांकः** -04/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 411 / 353 की कुल 13.9150 हैक्ट भूमि में से 1 / 14 हिस्सा भूमि वादी के चाचा मृतक दरियासिंह पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी के चाचा दरियासिंह पुत्र हरसुख का देहान्त हो चुका है। वादी के चाचा ने अपने जीवन काल में दिनांक 213.05.2011 को एक वसीयत की थी जिसके अनुसार उक्त भूमि अपने सगे भाई ओम प्रकाश के पुत्र राजेश पुत्र ओम प्रकाश जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर के पक्ष में वसीयत करवाई थी। वादी के चाचा दरियासिंह पुत्र हरसुख की यह पहली व अंतिम वसीयत थी जो वसीयतकर्ता ने अपने होश हवाश के साथ दो गवाह सतवीर पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर व राजकुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी रूपाना गंजा तहसील सिरसा की मौजूदगी मे उक्त वसीयत पर अंगूठा निशान दर्ज किये थे वसीतयत मजमून डीडराईटर प्रकाश इन्दौरिया द्वारा तैयाकर करवाया गया था और उक्त वसीयत नोटेरी पब्लिक एस0सी0 बाकोलिया नोहर द्वारा दिनांक 23.05.2011 को तस्दीक की गई थी।

वादी के चाचा दरियासिंह पुत्र हरसुख के कोई संतान नही थी तथा वादी ही अपने चाचा की सेवा चाकरी करता था जिसकी सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर वादी के चाचा दरियासिंह पुत्र हरसुख ने स्वैच्छा से दिनांक 23.05.2011 को राजेश के पक्ष में वसीयत करवाई थी।

वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा कि जावें की उक्त वाद भूमि का मुताबिक वसीयत वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:50:22 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

शामिल मिसल किया गया । वसीयत के संबंध में वसीयत के गवाह श्री श्री राजकुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी रूपाना गंजा तहसील व जिला सिरसा ने शपथ पत्र पेश किया की दरियासिंह ने अपने भतीजे राजेश के पक्ष में दिनांक 23.05.2011 को वसीयत तहरीर करवाई थी। जो की नोटेरी पब्लिक एमसी बाकोलिया से तस्दीकशुदा है। वसीयतकर्ता दरियासिंह का दिनांक 24.05.2011 को देहांत हो चुका हे। उक्त वसीयत पर बतौर गवाह मेरे हस्ताक्षर है। वाद भूमि बाबत कोई विवाद नही है उक्त वाद भूमि पर राजेश काबिज है। वसीयत के संबंध में ओमप्रकाश पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी रूपाणा तहसील चोपटा द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर साक्ष्यवादी जमाबंदी रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 411/353 सम्वत 2074–77, चित्रप्रति वसीयतनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र दरियासिंह, ग्राम पंचायत गंजा रूपाणा की तस्दीक बहक दरियासिंह दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दरियासिंह के नाम दर्ज है। वादी के चाचा दरियासिंह पुत्र हरसुख का देहान्त हो चुका है। वादी के चाचा ने अपने जीवन काल में दिनांक 213.05.2011 को एक वसीयत की थी जिसके अनुसार उक्त भूमि अपने सगे भाई ओम प्रकाश के पुत्र राजेश पुत्र ओम प्रकाश जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर के पक्ष में वसीयत करवाई थी। वादी के चाचा दरियासिंह पुत्र हरसुख की यह पहली व अंतिम वसीयत थी जो वसीयतकर्ता ने अपने होश हवाश के साथ दो गवाह सतवीर पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर व राजकुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी रूपाना गंजा तहसील सिरसा की मौजूदगी मे उक्त वसीयत पर अंगूठा निशान दर्ज किये थे वसीतयत मजमून डीडराईटर प्रकाश इन्दौरिया द्वारा तैयाकर करवाया गया था और उक्त वसीयत नोटेरी पब्लिक एस0सी0 बाकोलिया नोहर द्वारा दिनांक 23.05.2011 को तस्दीक की गई थी। अतः मुताबिक वसीयत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 411/353 की कुल 13.9150 हैक्ट भूमि में से 1/14 हिस्सा भूमि वादी के चाचा मृतक दरियासिंह पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुताबिक वसीयत दरियासिंह दिनांक 23.05.2011 को उक्त भूमि की वसीयत वादी के पक्ष में करवाई थी जो ... है। वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्युप्रमाण पत्र के मुताबिक दरियासिंह का दिनांक 24.08.2011 को देहांत हो चुका है। वसीयत के संबंध में वसीयत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:50:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के गवाह श्री राजकुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी रूपाना गंजा तहसील व जिला सिरसा ने शपथ पत्र पेश किया की दरियासिंह ने अपने भतीजे राजेश के पक्ष में दिनांक 23.05.2011 को वसीयत तहरीर करवाई थी। जो की नोटेरी पब्लिक एमसी बाकोलिया से तस्दीकशुदा है। वसीयतकर्ता दरियासिंह का दिनांक 24.05.2011 को देहांत हो चुका हे। उक्त वसीयत पर बतौर गवाह मेरे हस्ताक्षर है। वाद भूमि बाबत कोई विवाद नही है उक्त वाद भूमि पर राजेश काबिज है। वसीयत के संबंध में ओमप्रकाश पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी रूपाणा तहसील चोपटा द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया है एवं सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक के मुताबिक दरियासिंह लाऔलाद फौत हो चुका है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 411/353 की कुल 13.9150 हैक्ट भूमि में से 1/14 हिस्सा भूमि में मृतक दरियासिंह पुत्र हरसुख का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 04/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:50:22 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –725 / 2024

अनवान : –

1. राजेश पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 922 सन 2024 निर्णय दिनांक -04/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 411 / 353 की कुल 13.9150 हैक्ट भूमि में से 1 / 14 हिस्सा भूमि में मृतक दरियासिंह पुत्र हरसुख का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/11/2024 कों मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:50:22 IST
Reason: SelfAttested